...ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/220/अपी। श्रीमती सीताकंवर/राज0 सरकार

2023/209 — हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर — नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत श्री GA. 1, 2

सीताकंवर बनाम राजस्थान सरकार(209/2023)

17/7/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ रिजर्व रखी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

19/7/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी बाबत कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1217 रकबा 21.12.10 बीघा में से 12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के दादा श्री रणजीत सिंह पुत्र अन्ना सिंह को अलाटमेंट ऑफ लेण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज रूल्स 1957 के तहत दिनांक 06.07.1964 को स्थाई आवटंन की गई जिस पर प्रार्थीगण अपने दादा के समय से काबिज काश्त हाकर आज तक निरन्तर है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही किया गया तथा प्रार्थीगण के दादा निरक्षर होने विधि का उन्हे ज्ञान नही रहा तथा कब्जा काश्त निर्बाध आज तक होने के कारण उनके द्वारा कोई कार्यवाही इस बाबत नही की गई इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार कि हैसियत से है एक काश्तकार को प्राप्त अधिकारों के अनुसरण में अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु न्यायालय में प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में होते हुए भी अंतरिंग अनुतोष प्रदान नही कर विचारण न्यायालय द्वारा भारी त्रुटि कारित की है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि ग्राम चाचियावास के हाल आधार खसरा संख्या हाल नम्बर 1971/2697 बाबत विपक्षीगण को कोई हक अधिकार भूमि पर अवैधानिक रूप से रहन, बय, मुंतकिल करने का नही है तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करने पर उतारू हो रहे है जबकि प्रार्थी की भूमि पर विपक्षीगण को किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य करने का अधिकार नही है तथा प्रकरण की सुनवाई में समय लगन की संभावना है इस कारण अपील के लम्बित रहते ग्राम चाचियावास की वादग्रस्त आराजीयात भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने बाबत तथा भूमि के अभिलेख एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नही करने बाबत विपक्षीगण को पाबंद न ही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चाचियावास के हाल आधार खसरा संख्या हाल नम्बर 1971/2697 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न नहीं करने, रहन, बेचान मुन्तकिल नही करने से तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करने का नाजायज प्रयास करने, जबरन अतिक्रमण नही करने, निर्माण कार्य नही करने एवं करवाने तथा भूमि की शक्ल परिवर्तित नही करने से ताफैसला अपील पाबंद करने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा डी0एन0जे0 2014(1) पेज 35 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ...

209/2023/225 श्रीमती लीलाकंवर V/S राज्य सरकार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2023/209
पेशी	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ श्री ...

लगातार

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 बाबत कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है तथा उक्त आदेश अपील योग्य नही है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात सिवायचक दर्ज है। तथा उक्त आदेश दिनांक 14.06.2023 पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 14.06.2023 को वाद प्रस्तुत किया गया तथा वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर अभिभाषक को सुनकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डी0एन0जे0 2014(1) पेज 35 का अवलोकन किया जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "धारा 212 के अन्तर्गत पारित कोई भी आदेश चाहे अन्तिम आदेश हो या अन्तरिम, अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत अपील योग्य है" अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस के मध्य सद्भाविक कृषि संबंधी वाद विद्यमान है, जिसमें अपीलांट के हक अधिकार तय होने है किन्तु वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाहुल्यता को रोकने एवं वाद ग्रस्त आराजीयात को वाद के विचाराधीन रहते हुए संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 एवं 209 आर0टी0एक्ट का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में. पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश से दो माह में करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें तब तक वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम चाचियावास के हाल आधार खसरा संख्या हाल खसरा नम्बर 1971/2697 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके ,की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 एव 209 राज0काश्त0अधि0 का अंतिम निस्तारण किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner